

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संख्या-04/वन्यप्राणी-20/2026 2409/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-06/05/2026

संकल्प

विषय :- संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना का नामकरण "पटना जू (Patna Zoo)" करने एवं इस उद्यान के संचालन हेतु गठित संजय गाँधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी का नामकरण "पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी" करने की स्वीकृति।

वर्ष 1969 में महामहिम राज्यपाल के द्वारा राजभवन से स्थानांतरित 34 एकड़ भूमि पर वनस्पति उद्यान की स्थापना की गयी थी। वर्ष 1972 में इसके विकास के लिए राजस्व विभाग की 58.2 एकड़ तथा लोक निर्माण विभाग की 60.75 एकड़ भूमि स्थानांतरित की गयी तथा कुल 153 एकड़ भूमि पर इसका विकास जैविक उद्यान के रूप में किया गया। माह अक्टूबर 1980 में वन्यप्राणी सप्ताह के उद्घाटन समारोह के अवसर पर इस उद्यान का नामकरण "संजय गाँधी जैविक उद्यान" किया गया।

2. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के आलोक में संजय गाँधी जैविक उद्यान के कार्यों को अधिक बेहतर एवं सुचारु रूप से संचालित किये जाने एवं जन-सुविधाओं की पूर्ति के लिए त्वरित निर्णय लेने हेतु "संजय गाँधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी" का गठन किया गया है, जिसका निबंधन सोसाईटी निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत दिनांक-26.12.2025 को कराया गया है।

4. इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत "संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना" का नामकरण "पटना जू (Patna Zoo)" करने एवं इस उद्यान के संचालन हेतु गठित "संजय गाँधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी" का नामकरण "पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी" करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आनन्द किशोर)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-04/वन्यप्राणी-20/2026 2409/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-06/05/2026

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)

अपर मुख्य सचिव

2409
ज्ञापांक-04/वन्यप्राणी-20/2026

/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-06/05/2026

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/निदेशक, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)

अपर मुख्य सचिव

2409
ज्ञापांक-04/वन्यप्राणी-20/2026

/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-06/05/2026

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अरक्षी अधीक्षक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)

अपर मुख्य सचिव

2409
ज्ञापांक-04/वन्यप्राणी-20/2026

/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-06/05/2026

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-29.04.2026 में मद संख्या-33 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)

अपर मुख्य सचिव